Income Tax Related FAQ

प्रश्न 1 – PAN का updation किस प्रकार किया जावें?

उत्तर – सर्वप्रथम Google पर Search में IFPMS टाइप करें। इसके पश्चात राजस्थान पेंशन विभाग की अधिकृत वेबसाईट https://pension.rajasthan.gov.in खुल जायेगी। इसमें पेंशनर लॉगिन पर पेंशनर अपने पीपीओ संख्या एवं बैंक खाते के अन्तिम चार अंक दर्ज कर Basic detail updation में PAN, AAdhar No. व अपने मोबाईल न0 दर्ज कर अन्त में update पर click करें। इस प्रकार आपके PAN व आधार सं0 स्थायी रूप से फीड हो जायेंगें।

प्रश्न 2 – पेंशनर के आयकर सम्बंधी फार्म सं0 16 डाउनलोड करने की प्रकिया क्या है?

उत्तर – उपरोक्तानुसार https://pension.rajasthan.gov.in के पेंशनर लॉगिन में ही फार्म न. 16 आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे पेंशनर जिनकी आयकर की कटौती नही हुई है, उनके फार्म न. 16 generate नही होंगें। पेंशनर लॉगिन से ही आप पेंशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रश्न 3 – ऐसे पेंशनर जिनकी टीडीएस की कटौती तो की गई है, पर 26AS में show नही हो रहा है।

उत्तर – सर्वप्रथम पेंशनर अपनी पेंशनर लॉगिन में Basic detail update करें, यथा PAN, आधार सं0 व मोबाईल न0 इत्यादि। इसके पश्चात पेंशनर सम्बंधित कोषालय/निदेशालय पेंशन जयपुर में 26AS में TDS Show नही होने बाबत सूचित करें। आपकी सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।ईमेल आईडी cpdmc.rajpension@rajasthan.gov.in पर भी सूचना प्रेषित कर सकतें है।

प्रश्न 4 – चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 से आयकर की राशि कम/शून्य के लिए निवेश की सूचना दिये जाने बाबत क्या प्रकिया है?

उत्तर – चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 से आयकर की बचत अथवा पुरानी कर व्यवस्था अपनाये जाने पर पेंशनर वेबसाईट में pensioner login में "Tax declaration" में निवेश की राशि सम्बंधित कॉलम में दर्ज करें। निवेश की राशि दर्ज करने के पश्चात update पर click करें। यहॉ पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि Tax declaration में केवल निवेश की राशि ही दर्ज की जानी है।

प्रश्न 5 – ऐसे पेंशनर जिनको गत वर्षों की पेंशन एरियर के रूप में एक साथ मिली है, उन्हे आयकर राहत कैसे मिलेगी?

उत्तर – आयकर अधिनियम 1961 की धारा 89 के अन्तर्गत बकाया या पेशगी वेतन प्राप्त होने के कारण उॅची दरों से आयकर लगता है तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी करदाता के निवेदन पर आयकर से राहत प्रदान करते है। इसके लिए करदाता को आयकर विभाग की अधिकृत वेबसाईट पर आयकर विवरिणी भरते समय 10 (E) प्रस्तुत करनी पडती है। इसके पश्चात आयकर से राहत प्रदान की जाती है। इस सम्बंध में निदेशालय/कोषालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।